निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 22 पटना, बुधवार, 7 ज्येष्ठ 1936 (श0)
28 मई 2014 (ई0)

विषय-सूची

	पृष्ठ
भाग-1—नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं।	2-22
भाग-1-क—स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के आदेश।	---
भाग-1-ख—मैट्रीकुलेशन, आई0ए0, आई0एससी0, बी0ए0, बी0एससी0, एम0ए0, एम0एससी0, लॉ भाग-1 और 2, एम0बी0बी0एस0, बी0एस0ई0, डीप0-इन-एड0, एम0एस0 और मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षा-फल, कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान, आदि।	---
भाग-1-ग—शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि	---
भाग-2—बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि।	23-27
भाग-3—भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम, 'भारत गजट' और राज्य गजटों के उद्धरण।	---
भाग-4—बिहार अधिनियम	---
भाग-5—बिहार विधान मंडल में पुर:स्थापित विधेयक, उक्त विधान मंडल में उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान मंडल में पुर:स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।	---
भाग-7—संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की ज्येष्ठ अनुमति मिल चुकी है।	---
भाग-8—भारत की संसद में पुर:स्थापित विधेयक, संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुर:स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।	---
भाग-9—विज्ञापन	---
भाग-9-क—वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं	---
भाग-9-ख—निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि।	---
पूरक	---
पूरक-क	28-31

भाग-1

नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएं

विधि विभाग

अधिसूचनाएं

27 मार्च 2014

एस0ओ0 292, दिनांक 28 मई 2014—नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप-नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-461/जे0, दिनांक 09.02.2001 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री सुदर्शन सिंह, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक 09.02.2014 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

लेख्य प्रमाणक के नाम	आवासीय एवं व्यवसायिक पता	लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि ।	अर्हत्ता	जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है ।	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
श्री सुदर्शन सिंह	अधिवक्ता, नोटरी, अनु0 न्याया0 अरवल	09.02.2001	बी0ए0(प्र0) एलएलबी	अरवल जिला	

(सं0 सं0-ए0/नोट-30/95/2268/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उज्ज्वल कुमार दुबे,
संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

27 मार्च 2014

एस0ओ0 293, एस0ओ0 292, दिनांक 28 मई 2014 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-30/95/2268/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उज्ज्वल कुमार दुबे,
संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

The 27th March 2014

S.O. 292, dated 28th May 2014—In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Sudarshan Singh and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 461/J dated 09.02.2001 to practice as notary again for the next five year from 09.02.2014.

Name of Notary	Residental/ professional address	Date of which the name of the Notary has been entered in the Register.	Qualification	Area in which Notary to practice	Remarks
1	2	3	4	5	6
Shri Sudarshan Singh	Advocate, Notary Subdivisional Court, Arwal	09.02.2001	B.A(H.) L.L.B	Arwal District	

(File no. -A/Not-30/95/2268/J)
By order of the Governor of Bihar,
UJJWAL KUMAR DUBEY,
Joint Secretary -cum-Additional Legal Remembrancer, Bihar (Competent Authority)

---

27 मार्च 2014

एस0ओ0 294, दिनांक 28 मई 2014—नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप-नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-655/जे0, दिनांक 25.02.04 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री राजेन्द्र सिंह, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक 25.02.2014 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

लेख्य प्रमाणक के नाम	आवासीय एवं व्यवसायिक पता	लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि ।	अर्हत्ता	जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है ।	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
श्री राजेन्द्र सिंह	अधिवक्ता, नोटरी, सिविल कोर्ट, अरवल	25.02.04	बी0ए0 एलएलबी	अरवल जिला	

(सं0 सं0-ए0/नोट(एस0)-66/2001/2269/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उज्ज्वल कुमार दुबे,
संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

---

27 मार्च 2014

एस0ओ0 295, एस0ओ0 294, दिनांक 28 मई 2014 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट(एस0)-66/2001/2269/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उज्ज्वल कुमार दुबे,
संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

The 27th March 2014

S.O. 294, dated 28th May 2014—In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Rajendra Singh and

whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 655/J dated 25.02.04 to practice as notary again for the next five year from 25.02.2014.

Name of Notary	Residental/ professional address	Date of which the name of the Notary has been entered in the Register.	Qualification	Area in which Notary to practice	Remarks
1	2	3	4	5	6
Shri Rajendra Singh	Advocate, Notary Civil Court, Arwal	25.02.2004	B.A L.L.B	Arwal District	

(File no. -A/Not(S)-66/2001/2269/J)
By order of the Governor of Bihar,
UJJWAL KUMAR DUBEY,
Joint Secretary -cum-Additional Legal Remembrancer, Bihar (Competent Authority)

---

27 मार्च 2014

एस0ओ0 296, दिनांक 28 मई 2014—नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप-नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-5476/जे0, दिनांक 16.12.99 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री जय शंकर प्रसाद, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक 16.12.2007 से दिनांक 15.12.2012 तक एवं पुनः दिनांक 16.12.2012 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

लेख्य प्रमाणक के नाम	आवासीय एवं व्यवसायिक पता	लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि ।	अर्हत्ता	जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है ।	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
श्री जय शंकर प्रसाद	अधिवक्ता, व्यवहार न्यायालय, बाँका	16.12.99	बी0ए0 एलएलबी	बाँका जिला	

(सं0 सं0-ए0/नोट-18/96/2270/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उज्ज्वल कुमार दुबे,
संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

---

27 मार्च 2014

एस0ओ0 297, एस0ओ0 296, दिनांक 28 मई 2014 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-18/96/2270/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उज्ज्वल कुमार दुबे,
संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

The 27th March 2014

S.O. 296, dated 28th May 2014—In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Jai Shankar Prasad and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 5476/J dated 16.12.99 to practice as notary again for the next five year from 16.12.2007 to 15.12.12 and dated 16.12.2012.

Name of Notary	Residental/ professional address	Date of which the name of the Notary has been entered in the Register.	Qualification	Area in which Notary to practice	Remarks
1	2	3	4	5	6
Shri Jai Shankar Prasad	Advocate, Civil Court, Banka	16.12.99	B.A L.L.B	Banka District	

(File no. -A/Not-18/96/2270/J)
By order of the Governor of Bihar,
UJJWAL KUMAR DUBEY,
Joint Secretary -cum-Additional Legal Remembrancer, Bihar (Competent Authority)

---

27 मार्च 2014

एस0ओ0 298, दिनांक 28 मई 2014—नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप-नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-4143/जे0, दिनांक 10.09.2004 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री संजय प्रसाद सिंह, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक 10.09.2009 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

लेख्य प्रमाणक के नाम	आवासीय एवं व्यवसायिक पता	लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि ।	अर्हत्ता	जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है ।	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
श्री संजय प्रसाद सिंह	अधिवक्ता, व्यवहार न्यायालय, बाँका	10.09.2004	बी0कॉम0 एलएलबी	बाँका जिला	

(सं0 सं0-ए0/नोट(एस0)-22/2001/2275/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उज्ज्वल कुमार दुबे,
संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

---

27 मार्च 2014

एस0ओ0 299, एस0ओ0 298, दिनांक 28 मई 2014 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट(एस0)-22/2001/2275/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उज्ज्वल कुमार दुबे,
संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

The 27th March 2014

S.O. 298, dated 28th May 2014—In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Sanjay Pd. Singh and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 4143/J dated 10.09.2004 to practice as notary again for the next five year from 10.09.2009.

Name of Notary	Residental/ professional address	Date of which the name of the Notary has been entered in the Register.	Qualification	Area in which Notary to practice	Remarks
1	2	3	4	5	6
Shri Sanjay Pd. Singh	Advocate, Civil Court, Banka	10.09.2004	B.Com L.L.B	Banka District	

(File no. -A/Not(S)-22/2001/2275/J)
By order of the Governor of Bihar,
UJJWAL KUMAR DUBEY,
Joint Secretary -cum-Additional Legal Remembrancer, Bihar (Competent Authority)

———

27 मार्च 2014

एस0ओ0 300, दिनांक 28 मई 2014—नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप-नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-1545/जे0, दिनांक 20.05.2003 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री श्याम देव ठाकुर, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक 20.05.2013 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

लेख्य प्रमाणक के नाम	आवासीय एवं व्यवसायिक पता	लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि ।	अर्हत्ता	जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है ।	अभयुक्ति
1	2	3	4	5	6
श्री श्याम देव ठाकुर	अधिवक्ता, मु0-नेहरू कोलोनी, बाँका, जिला-बाँका, सिविल कोर्ट, बाँका	20.05.2003	बी0कॉम0 एलएलबी	बाँका जिला	

(सं0 सं0-ए0/नोट(एस0)-03/2001/2276/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उज्ज्वल कुमार दुबे,
संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

27 मार्च 2014

एस0ओ0 301, एस0ओ0 300, दिनांक 28 मई 2014 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट(एस0)-03/2001/2276/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उज्ज्वल कुमार दुबे,
संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

The 27th March 2014

S.O. 300, dated 28th May 2014—In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Shyam Deo Thakur and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 1545/J dated 20.05.2003 to practice as notary again for the next five year from 20.05.2013.

Name of Notary	Residental/ professional address	Date of which the name of the Notary has been entered in the Register.	Qualification	Area in which Notary to practice	Remarks
1	2	3	4	5	6
Shri Shyam Deo Thakur	Advocate, M.-Nehru Colony, Banka, Civil Court, Banka	20.05.2003	B.Com L.L.B	Banka District	

(File no. -A/Not(S)-03/2001/2276/J)
By order of the Governor of Bihar,
UJJWAL KUMAR DUBEY,
Joint Secretary -cum-Additional Legal Remembrancer, Bihar (Competent Authority)

---

27 मार्च 2014

एस0ओ0 302, दिनांक 28 मई 2014—नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप-नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-3297/जे0, दिनांक 12.06.86 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री विभूति भूषण सिंह, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक 12.06.2006 से दिनांक 11.06.2011 तक एवं दिनांक 12.06.2011 से पुन: अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

लेख्य प्रमाणक के नाम	आवासीय एवं व्यवसायिक पता	लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि ।	अर्हत्ता	जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है ।	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
श्री विभूति भूषण सिंह	अधिवक्ता, सिविल कोर्ट, बाँका	12.06.86		बाँका जिला	

(सं0 सं0-ए0/ए0बी0-18/85/2277/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उज्ज्वल कुमार दुबे,
संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

---

27 मार्च 2014

एस0ओ0 303, एस0ओ0 302, दिनांक 28 मई 2014 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/ए0बी0-18/85/2277/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उज्ज्वल कुमार दुबे,
संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

The 27th March 2014

S.O. 302, dated 28th May 2014—In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Bibhuti Bhushan Singh and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 3297/J dated 12.06.86 to practice as notary 12.06.2006 to 11.06.2011 and for the next five years from 12.06.11.

Name of Notary	Residental/ professional address	Date of which the name of the Notary has been entered in the Register.	Qualification	Area in which Notary to practice	Remarks
1	2	3	4	5	6
Shri Bibhuti Bhushan Singh	Advocate, Civil Court, Banka	12.06.86		Banka District	

(File no. -A/AB-18/85/2277/J)
By order of the Governor of Bihar,
UJJWAL KUMAR DUBEY,
Joint Secretary -cum-Additional Legal Remembrancer, Bihar (Competent Authority)

---

27 मार्च 2014

एस0ओ0 304, दिनांक 28 मई 2014—नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप-नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-523/जे0, दिनांक 17.02.2004 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री प्राण जीवन झा, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक 17.02.2009 से दिनांक 16.02.2014 तक पुन: दिनांक 17.02.2014 से पुन: अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

लेख्य प्रमाणक के नाम	आवासीय एवं व्यवसायिक पता	लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि ।	अर्हत्ता	जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है ।	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
श्री प्राण जीवन झा	अधिवक्ता, सिविल कोर्ट, बाँका	17.02.2004	बी0ए0 एलएलबी	बाँका जिला	

(सं0 सं0-ए0/नोट(एस0)-38/2001/2278/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उज्ज्वल कुमार दुबे,
संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

---

27 मार्च 2014

एस0ओ0 305, एस0ओ0 304, दिनांक 28 मई 2014 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट(एस0)-38/2001/2278/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उज्ज्वल कुमार दुबे,
संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

The 27th March 2014

S.O. 304, dated 28th May 2014—In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Pran Jiwan Jha and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 523/J dated 17.02.2004 to practice as notary again for the next five year from 17.02.2009 to 16.02.2014 and dated 17.02.2014.

Name of Notary	Residental/ professional address	Date of which the name of the Notary has been entered in the Register.	Qualification	Area in which Notary to practice	Remarks
1	2	3	4	5	6
Shri Pran Jiwan Jha	Advocate, At Jagatpur, P.O+P.S+Distt-Banka	17.02.2004	B.A L.L.B	Banka District	

(File no. -A/Not(S)-38/2001/2278/J)
By order of the Governor of Bihar,
UJJWAL KUMAR DUBEY,
Joint Secretary -cum-Additional Legal Remembrancer, Bihar (Competent Authority)

———

27 मार्च 2014

एस0ओ0 306, दिनांक 28 मई 2014—नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप-नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-4253/जे0, दिनांक 28.12.2001 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री पुनेश्वर मंडल, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक 28.12.2006 से दिनांक 27.12.2011 तक एवं पुनः दिनांक 28.12.2011 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते है।

लेख्य प्रमाणक के नाम	आवासीय एवं व्यवसायिक पता	लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि ।	अर्हत्ता	जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है ।	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
श्री पुनेश्वर मंडल	अधिवक्ता, व्यवहार न्यायालय, बाँका	28.12.2001		बाँका जिला	

(सं0 सं0-ए0/नोट-71/98(पार्ट)/2279/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उज्ज्वल कुमार दुबे,
संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

———

27 मार्च 2014

एस0ओ0 307, एस0ओ0 306, दिनांक 28 मई 2014 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-71/98(पार्ट)/2279/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उज्ज्वल कुमार दुबे,
संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

The 27th March 2014

S.O. 306, dated 28th May 2014—In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Puneshwar Mandal and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 4253/J dated 28.12.2001 to practice as notary again for the next five year from 28.12.2006 to 27.12.2011 and dated 28.12.2011.

Name of Notary	Residental/ professional address	Date of which the name of the Notary has been entered in the Register.	Qualification	Area in which Notary to practice	Remarks
1	2	3	4	5	6
Shri Puneshwar Mandal	Advocate, Civil Court, Banka	28.12.2001		Banka District	

(File no. -A/Not-71/98(Part)/2279/J)
By order of the Governor of Bihar,
UJJWAL KUMAR DUBEY,
Joint Secretary -cum-Additional Legal Remembrancer, Bihar (Competent Authority)

---

27 मार्च 2014

एस0ओ0 308, दिनांक 28 मई 2014—नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप-नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-443/जे0, दिनांक 10.02.2004 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री सुधीर कुमार यादव, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक 10.02.2014 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

लेख्य प्रमाणक के नाम	आवासीय एवं व्यवसायिक पता	लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि ।	अर्हत्ता	जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है ।	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
श्री सुधीर कुमार यादव	अधिवक्ता, व्यवहार न्यायालय लखीसराय	10.02.2004	बी0ए0 एलएलबी	लखीसराय जिला	

(सं0 सं0-ए0/नोट(एस0)-88/02/2280/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उज्ज्वल कुमार दुबे,
संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

---

27 मार्च 2014

एस0ओ0 309, एस0ओ0 308, दिनांक 28 मई 2014 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट(एस0)-88/02/2280/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उज्ज्वल कुमार दुबे,
संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

The 27th March 2014

S.O. 308, dated 28th May 2014—In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Sudhir Kumar Yadav and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 443/J dated 10.02.2004 to practice as notary again for the next five year from 10.02.2014.

Name of Notary	Residental/ professional address	Date of which the name of the Notary has been entered in the Register.	Qualification	Area in which Notary to practice	Remarks
1	2	3	4	5	6
Shri Sudhir Kumar Yadav	Advocate, Civil Court, Lakhisarai	10.02.2004	B.A L.L.B	Lakhisarai District	

(File no. -A/Not(S)-88/02/2280/J)
By order of the Governor of Bihar,
UJJWAL KUMAR DUBEY,
Joint Secretary -cum-Additional Legal Remembrancer, Bihar (Competent Authority)

---

27 मार्च 2014

एस0ओ0 310, दिनांक 28 मई 2014—नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप-नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-410/जे0, दिनांक 06.02.2004 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री प्रमोद कुमार सिंह, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक 06.02.2014 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

लेख्य प्रमाणक के नाम	आवासीय एवं व्यवसायिक पता	लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि ।	अर्हत्ता	जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है ।	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
श्री प्रमोद कुमार सिंह	अधिवक्ता, नोटरी, सिविल कोर्ट, गया	06.02.04	बी0एस0सी0 एलएलबी	गया जिला	

(सं0 सं0-ए0/नोट(एस0)-24/01/2281/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उज्ज्वल कुमार दुबे,
संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

---

27 मार्च 2014

एस0ओ0 311, एस0ओ0 310, दिनांक 28 मई 2014 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट(एस0)-24/01/2281/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उज्ज्वल कुमार दुबे,
संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

The 27th March 2014

S.O. 310, dated 28th May 2014—In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Pramod Kumar Singh and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 410/J dated 06.02.2004 to practice as notary again for the next five year from 06.02.2014.

Name of Notary	Residental/ professional address	Date of which the name of the Notary has been entered in the Register.	Qualification	Area in which Notary to practice	Remarks
1	2	3	4	5	6
Shri Pramod Kumar Singh	Advocate, Notary, Civil Court, Gaya	06.02.04	B.Sc L.L.B	Gaya District	

(File no. -A/Not(S)-24/01/2281/J)
By order of the Governor of Bihar,
UJJWAL KUMAR DUBEY,
Joint Secretary -cum-Additional Legal Remembrancer, Bihar (Competent Authority)

---

27 मार्च 2014

एस0ओ0 312, दिनांक 28 मई 2014—नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप-नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-521/जे0, दिनांक 17.02.2004 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री जगत नारायण सिंह, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक 17.02.2014 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

लेख्य प्रमाणक के नाम	आवासीय एवं व्यवसायिक पता	लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि ।	अर्हत्ता	जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है ।	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
श्री जगत नारायण सिंह	अधिवक्ता, सिविल कोर्ट, बेतिया	17.02.2004	बी0ए0 एलएलबी	प0 चम्पारण, बेतिया जिला	

(सं0 सं0-ए0/नोट-12/01/2282/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उज्ज्वल कुमार दुबे,
संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

---

27 मार्च 2014

एस0ओ0 313, एस0ओ0 312, दिनांक 28 मई 2014 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-12/01/2282/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उज्ज्वल कुमार दुबे,
संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

The 27th March 2014

S.O. 312, dated 28th May 2014—In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Jagat Narain Singh and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 521/J dated 17.02.2004 to practice as notary again for the next five year from 17.02.2014

Name of Notary	Residental/ professional address	Date of which the name of the Notary has been entered in the Register.	Qualification	Area in which Notary to practice	Remarks
1	2	3	4	5	6
Shri Jagat Narain Singh	Advocate, Civil Court, Bettiah	17.02.2004	B.A L.L.B	West Champaran, Bettiah District	

(File no. -A/Not-12/01/2282/J)
By order of the Governor of Bihar,
UJJWAL KUMAR DUBEY,
Joint Secretary -cum-Additional Legal Remembrancer, Bihar (Competent Authority)

---

27 मार्च 2014

एस0ओ0 314, दिनांक 28 मई 2014—नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप-नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-680/जे0, दिनांक 20.02.2001 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री श्याम बिहारी प्रसाद सिन्हा, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक 20.02.2014 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

लेख्य प्रमाणक के नाम	आवासीय एवं व्यवसायिक पता	लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि ।	अर्हत्ता	जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है ।	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
श्री श्याम बिहारी प्रसाद सिन्हा	अधिवक्ता, व्यवहार न्यायालय, प0 चम्पारण, बेतिया	20.02.2001	बी0ए0 एलएलबी	प0 चम्पारण, बेतिया जिला	

(सं0 सं0-ए0/नोट-18/99/2283/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उज्ज्वल कुमार दुबे,
संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

---

27 मार्च 2014

एस0ओ0 315, एस0ओ0 314, दिनांक 28 मई 2014 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-18/99/2283/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उज्ज्वल कुमार दुबे,
संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

The 27th March 2014

S.O. 314, dated 28th May 2014—In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Shyam Bihari Prasad Sinha and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 680/J dated 20.02.2001 to practice as notary again for the next five year from 20.02.2014.

Name of Notary	Residental/ professional address	Date of which the name of the Notary has been entered in the Register.	Qualification	Area in which Notary to practice	Remarks
1	2	3	4	5	6
Shri Shyam Bihari Prasad Sinha	Advocate, Civil Court, W. Champaran Bettiah	20.02.2001	B.A L.L.B	West Champaran at Bettiah District	

(File no. -A/Not-18/99/2283/J)
By order of the Governor of Bihar,
UJJWAL KUMAR DUBEY,
Joint Secretary -cum-Additional Legal Remembrancer, Bihar (Competent Authority)

---

27 मार्च 2014

एस0ओ0 316, दिनांक 28 मई 2014—नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप-नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-405/जे0, दिनांक 19.01.87 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री हरिनन्दन प्रसाद, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक 19.01.2014 से पुन: अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

लेख्य प्रमाणक के नाम	आवासीय एवं व्यवसायिक पता	लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि ।	अर्हत्ता	जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है ।	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
श्री हरिनन्दन प्रसाद	अधिवक्ता, नोटरी, खगड़िया, सिविल कोर्ट, खगड़िया	19.01.87	एम0ए0 एलएलबी	खगड़िया जिला	

(सं0 सं0-ए0/ए0बी0-18/86/2284/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उज्ज्वल कुमार दुबे,
संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

---

27 मार्च 2014

एस0ओ0 317, एस0ओ0 316, दिनांक 28 मई 2014 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/ए0बी0-18/86/2284/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उज्ज्वल कुमार दुबे,
संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

The 27th March 2014

S.O. 316, dated 28th May 2014—In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Hari Nandan Prasad and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 405/J dated 19.01.87 to practice as notary again for the next five year from 19.01.2014.

Name of Notary	Residental/ professional address	Date of which the name of the Notary has been entered in the Register.	Qualification	Area in which Notary to practice	Remarks
1	2	3	4	5	6
Shri Hari Nandan Prasad	Advocate, Civil Court Khagaria	19.01.87	M.A L.L.B	Khagaria District	

(File no. -A/AB-18/86/2284/J)
By order of the Governor of Bihar,
UJJWAL KUMAR DUBEY,
Joint Secretary -cum-Additional Legal Remembrancer, Bihar (Competent Authority)

---

27 मार्च 2014

एस0ओ0 318, दिनांक 28 मई 2014—नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप-नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-4687/जे0, दिनांक 18.11.2003 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री रामाशीष दास, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक 18.11.2013 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

लेख्य प्रमाणक के नाम	आवासीय एवं व्यवसायिक पता	लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि ।	अर्हत्ता	जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है ।	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
श्री रामाशीष दास	अधिवक्ता, नोटरी अनु0 न्या0 दलसिंहसराय, जिला-समस्तीपुर	18.11.2003	एम0ए0 एलएलबी	समस्तीपुर जिलान्तर्गत दलसिंहसराय अनुमंडल	

(सं0 सं0-ए0/नोट-25/2000/2285/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उज्ज्वल कुमार दुबे,
संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

---

27 मार्च 2014

एस0ओ0 319, एस0ओ0 318, दिनांक 28 मई 2014 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-25/2000/2285/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उज्ज्वल कुमार दुबे,
संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

The 27th March 2014

S.O. 318, dated 28th May 2014—In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Ramashish Das and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 4687/J dated 18.11.2003 to practice as notary again for the next five year from 18.11.2013

Name of Notary	Residental/ professional address	Date of which the name of the Notary has been entered in the Register.	Qualification	Area in which Notary to practice	Remarks
1	2	3	4	5	6
Shri Ramashish Das	Advocate, Notary Subdivisional Court Dalsinghsarai (Samastipur)	18.11.2003	M.A L.L.B	Dalsinghsarai subdivision Under Samatipur District	

(File no. -A/Not-25/2000/2285/J)
By order of the Governor of Bihar,
UJJWAL KUMAR DUBEY,
Joint Secretary -cum-Additional Legal Remembrancer, Bihar (Competent Authority)

---

27 मार्च 2014

एस0ओ0 320, दिनांक 28 मई 2014—नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप-नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-360/जे0, दिनांक 31.01.2004 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री ब्रज किशोर सिंह, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक 31.01.2014 से पुन: अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते है।

लेख्य प्रमाणक के नाम	आवासीय एवं व्यवसायिक पता	लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि ।	अर्हत्ता	जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है ।	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
श्री ब्रज किशोर सिंह	अधिवक्ता, सिविल कोर्ट, पटना	31.01.2004	एम0एस0सी0 एलएलबी	पटना जिला	

(सं0 सं0-ए0/नोट(एस0)-06/2002/2286/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उज्ज्वल कुमार दुबे,
संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

---

27 मार्च 2014

एस0ओ0 321, एस0ओ0 320, दिनांक 28 मई 2014 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट(एस0)-06/2002/2286/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उज्ज्वल कुमार दुबे,
संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

The 27th March 2014

S.O. 320, dated 28th May 2014—In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Braj Kishore Singh and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 360/J dated 31.01.2004 to practice as notary again for the next five year from 31.01.2014.

Name of Notary	Residental/ professional address	Date of which the name of the Notary has been entered in the Register.	Qualification	Area in which Notary to practice	Remarks
1	2	3	4	5	6
Shri Braj Kishore Singh	Advocate, Civil Court, Patna	31.01.04	M.Sc L.L.B	Patna District	

(File no. -A/Not(S)-06/2002/2286/J)
By order of the Governor of Bihar,
UJJWAL KUMAR DUBEY,
Joint Secretary -cum-Additional Legal Remembrancer, Bihar (Competent Authority)

---

27 मार्च 2014

एस0ओ0 322, दिनांक 28 मई 2014—नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप-नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-2708/जे0, दिनांक 15.06.92 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री विजय कुमार सिन्हा, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक 15.06.2006 से दिनांक 14.06.2011 एवं पुनः दिनांक 15.06.2011 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

लेख्य प्रमाणक के नाम	आवासीय एवं व्यवसायिक पता	लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि ।	अर्हत्ता	जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है ।	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
श्री विजय कुमार सिन्हा	अधिवक्ता, व्यवहार न्यायालय, किशनगंज	15.06.92	बी0ए0 बीएल	किशनगंज जिला	

(सं0 सं0-ए0/ए0बी0-26/91/2287/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उज्ज्वल कुमार दुबे,
संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

---

27 मार्च 2014

एस0ओ0 323, एस0ओ0 322, दिनांक 28 मई 2014 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/ए0बी0-26/91/2287/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उज्ज्वल कुमार दुबे,
संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

The 27th March 2014

S.O. 322, dated 28th May 2014—In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Bijay Kumar Sinha and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 2708/J dated 15.06.92 to practice as notary again for the next five year from 15.06.2006 to 14.06.2011 and dated 15.06.2011.

Name of Notary	Residental/ professional address	Date of which the name of the Notary has been entered in the Register.	Qualification	Area in which Notary to practice	Remarks
1	2	3	4	5	6
Shri Bijay Kumar Sinha	Advocate, Civil Court, Kishanganj	15.02.92	B.A B.L	Kishangaj District	

(File no. -A/AB-26/91/2287/J)
By order of the Governor of Bihar,
UJJWAL KUMAR DUBEY,
Joint Secretary -cum-Additional Legal Remembrancer, Bihar (Competent Authority)

---

27 मार्च 2014

एस0ओ0 324, दिनांक 28 मई 2014—नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप-नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-822/जे0, दिनांक 13.03.03 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री जगदीश मंडल, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक 13.03.08 से दिनांक 12.03.13 एवं दिनांक 13.03.13 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते है।

लेख्य प्रमाणक के नाम	आवासीय एवं व्यवसायिक पता	लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि ।	अर्हत्ता	जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है ।	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
श्री जगदीश मंडल	अधिवक्ता, नोटरी	13.03.13	बी0ए0 बीएल	जयनगर अनुमंडल (जिला-मधुबनी)	

(सं0 सं0-ए0/नोट-56/96/2288/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उज्ज्वल कुमार दुबे,
संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

---

27 मार्च 2014

एस0ओ0 325, एस0ओ0 324, दिनांक 28 मई 2014 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-56/96/2288/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उज्ज्वल कुमार दुबे,
संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

The 27th March 2014

S.O. 324, dated 28th May 2014—In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Jagdish Mandal and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 822/J dated 13.03.03 to practice as notary from 13.03.08 to 12.03.13 and again for the next five year from 13.03.13.

Name of Notary	Residental/ professional address	Date of which the name of the Notary has been entered in the Register.	Qualification	Area in which Notary to practice	Remarks
1	2	3	4	5	6
Shri Jagdish Mandal	Advocate, Notary, Civil Court, Jainagar Distt-Madhubani	13.03.13	B.A B.L	Jainagar Subdivision Under Madhubani District	

(File no. -A/Not-56/96/2288/J)
By order of the Governor of Bihar,
UJJWAL KUMAR DUBEY,
Joint Secretary -cum-Additional Legal Remembrancer, Bihar (Competent Authority)

---

28 मार्च 2014

एस0ओ0 328, दिनांक 28 मई 2014—नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप-नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-2421/जे0, दिनांक 25.05.94 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री शत्रुधन प्रसाद चौरसिया, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक 20.05.97 से दिनांक 19.05.2000 तक पुनः दिनांक 20.05.2000 से दिनांक 19.05.2005 तक लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

लेख्य प्रमाणक के नाम	आवासीय एवं व्यवसायिक पता	लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि ।	अर्हत्ता	जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है ।	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
श्री शत्रुधन प्रसाद चौरसिया	अधिवक्ता, कहलगाँव बार एसोसियेशन कहलगाँव	20.05.94	बी0कॉम0	कहलगाँव अनुमंडल (जिला-भागलपुर)	

(सं0 सं0-ए0/नोट-91/92/2331/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उज्ज्वल कुमार दुबे,
संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

28 मार्च 2014

एस0ओ0 329, एस0ओ0 328, दिनांक 28 मई 2014 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-91/92/2331/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उज्ज्वल कुमार दुबे,
संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

The 28th March 2014

S.O. 328, dated 28th May 2014—In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Satrughan Prasad Chaurasia and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 2421/J dated 25.05.94 to practice as notary again for the next five year from 20.05.97 to 19.05.2000 and 20.05.2000 to 19.05.2005

Name of Notary	Residental/ professional address	Date of which the name of the Notary has been entered in the Register.	Qualification	Area in which Notary to practice	Remarks
1	2	3	4	5	6
Shri Satrughan Prasad Chaurasia	Advocate, Kahalgaun Subdivision Bhagalpur	20.05.94	B.Com	Kahalgaun Subdivision Under Bhagalpur	

(File no. -A/Not-91/92/2331/J)
By order of the Governor of Bihar,
UJJWAL KUMAR DUBEY,
Joint Secretary -cum-Additional Legal Remembrancer, Bihar (Competent Authority)

---

27 मार्च 2014

एस0ओ0 326, दिनांक 28 मई 2014—नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-10 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल, स्व0 ब्रज किशोर साहू, नोटरी, दरभंगा का नाम, जिनकी नियुक्ति नोटरी के रूप में विधि विभाग की अधिसूचना ज्ञाप सं0-4862, दिनांक 12.11.92 द्वारा की गयी थी, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-4 के अन्तर्गत नोटरियों के लिये संधारित नोटरी पंजी से तत्काल प्रभाव से हटाने का आदेश देते है।

(सं0सं0-ए0/ए0बी0-19/90/2289/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उज्ज्वल कुमार दुबे,
संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

---

27 मार्च 2014

एस0ओ0 327, एस0ओ0 326, दिनांक 28 मई 2014 को अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0सं0-ए0/ए0बी0-19/90/2289/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उज्ज्वल कुमार दुबे,
संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

The 27th March 2014

S.O. 326, dated 28th May 2014—In exercise of the powers conferred under Section-10 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to remove the name of Late Braj Kishor Sahu Notary Public, Darbhanga whose appointment had been made as notary under Law

Department's Notification memo no.4862/J dated-12.11.92 from the notary register maintained for Notaries under Section-4 of the Notaries Act, 1952.

(File No.-A/AB-19/90/2289/J)
By order of the Governor of Bihar,
UJJWAL KUMAR DUBEY,
Joint Secretary -cum-Additional Legal Remembrancer, Bihar (Competent Authority)

---

28 मार्च 2014

एस0ओ0 330, दिनांक 28 मई 2014—नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-10 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल, श्री शत्रुधन प्रसाद चौरसिया, अधिवक्ता-सह-नोटरी, कहलगाँव अनुमंडल (जिला-भागलपुर) का नाम, जिनकी नियुक्ति नोटरी के रूप में विधि विभाग की अधिसूचना ज्ञाप सं0-2421 दिनांक 25.05.. 94 द्वारा की गयी थी, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-4 के अन्तर्गत नोटरियों के लिये संधारित नोटरी पंजी से तत्काल प्रभाव से हटाने का आदेश देते है।

(सं0सं0-ए0/नोट-91/92/2332/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उज्ज्वल कुमार दुबे,
संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

---

28 मार्च 2014

एस0ओ0 331, एस0ओ0 330, दिनांक 28 मई 2014 को अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0सं0-ए0/नोट-91/92/2332/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उज्ज्वल कुमार दुबे,
संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

The 28th March 2014

S.O. 330, dated 28th May 2014—In exercise of the powers conferred under Section-10 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to remove the name of Sri Satrughan Prasad Chaurasia Notary Public, Kahalgaun Subdivision Under Bhagalpur District whose appointment had been made as notary under Law Department's Notification memo no.2421/J dated-20.05.94 from the notary register maintained for Notaries under Section-4 of the Notaries Act, 1952.

(File No.-A/Not-91/92/2332/J)
By order of the Governor of Bihar,
UJJWAL KUMAR DUBEY,
Joint Secretary -cum-Additional Legal Remembrancer, Bihar (Competent Authority).

वाणिज्य–कर विभाग

अधिसूचनाएं

16 मई 2014

सं० 6 / प0प0–30–02 / 2013–2357 / वा0कर–मो0 सदरूल ओला खॉ, वाणिज्य–कर उपायुक्त, टी0आर0यू0, मुख्यालय, बिहार, पटना को अगले आदेश तक वाणिज्य–कर उपायुक्त, केन्द्रीय प्रमंडल (अंकेक्षण), पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं० 6/प0प0–30–02/2013–2358/वा0कर–श्री सचिदानन्द शर्मा, वाणिज्य–कर उपायुक्त, आर्थिक शोध इकाई, मुख्यालय, बिहार, पटना को अगले आदेश तक अपने कार्यो के अतिरिक्त पटना पश्चिमी प्रमंडल (अंकेक्षण), पटना में कार्य करने हेतु प्रतिनियुक्त किया जाता है।

सं० 6/प0प0–30–02/2013–2359/वा0कर–श्री नन्द किशोर सिंह, वाणिज्य–कर उपायुक्त, आर्थिक शोध इकाई, मुख्यालय, बिहार, पटना को अगले आदेश तक अपने कार्यो के अतिरिक्त पटना पश्चिमी प्रमंडल (अंकेक्षण), पटना में कार्य करने हेतु प्रतिनियुक्त किया जाता है।

सं० 6/प0प0–30–02/2013–2360/वा0कर–श्री प्रकाश चन्द्र झा, वाणिज्य–कर उपायुक्त, प्रशिक्षण प्रकोष्ट, मुख्यालय, बिहार, पटना को अगले आदेश तक अपने कार्यो के अतिरिक्त पटना पूर्वी प्रमंडल (अंकेक्षण), पटना में कार्य करने हेतु प्रतिनियुक्त किया जाता है।

2. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
जय प्रकाश ठाकुर, अवर सचिव।

---

16 मई 2014

सं० 6/प्रो0–34–03/2013–2362/वा0कर—श्री तपन कुमार चक्रवर्ती, वाणिज्य–कर अपर आयुक्त, वाणिज्य–कर विभाग (मुख्यालय), बिहार, पटना को अगले आदेश अथवा सेवा निवृति की तिथि, दोनो में से जो भी पहले हो तक, सदस्य, वाणिज्य–कर न्यायाधिकरण, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

2. श्री तपन कुमार चक्रवर्ती द्वारा धारित प्रभार को कार्यकारी व्यवस्था के तहत श्री दिगम्बर प्रसाद तिवारी, वाणिज्य–कर अपर आयुक्त, मुख्यालय, बिहार, पटना को अपने कर्त्तव्यो के अलावे अतिरिक्त प्रभार के रूप में सौपा जाता है।

3. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
जय प्रकाश ठाकुर, अवर सचिव।

---

16 मई 2014

सं० 6/प्रो0–06–03/2013–2356/वा0कर–श्री शंकर कुमार मिश्र, नवप्रोन्नत, वाणिज्य–कर उपायुक्त, दरभंगा अंचल, दरभंगा को अगले आदेश तक वाणिज्य–कर उपायुक्त, समेकित जाँच चौकी कर्मनाशा, भभुआ के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

2. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
जय प्रकाश ठाकुर, अवर सचिव।

उद्योग विभाग

अधिसूचना
6 मई 2014

सं0 6 नया (स) स्थापना (निर्यात निगम) 05/2001/1600—श्री अरूण कुमार सिंह, भा0 प्र0 से0, निदेशक, खाद्य एवं प्रसंस्करण, निदेशालय, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को अपने कार्यो के अतिरिक्त बिहार राज्य निर्यात निगम के आर्टिकल्स ऑफ एशोसियेशन की कंडिका 47(1) ए0 एवं 47(1) बी0 के प्रावधानों के तहत् निगम के निदेशक पर्षद के अगले आदेश तक निदेशक नियुक्त करते हुए अध्यक्ष पद पर मनोनीत किया जाता है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
(ह०)–अस्पष्ट, अवर सचिव ।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 10—571+100-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in

भाग-2

बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि।

मुख्य अभियन्ता (उत्तर) का कार्यालय
नलकूप प्रभाग, लघु जल संसाधन–विभाग, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय–आदेश
8 फरवरी 2014

सं० स्था0–3 बी–विविध–10/12–119—सरकार के अवर सचिव, लघु सिंचाई विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक–1661 दिनांक 02.04.07 में निहित सरकार के आदेश के अनुपालन में स्व0 जय श्री लाल साह भूतपूर्व नलकुप मेठ नलकूप प्रमंडल, मोतिहारी के आश्रित पुत्र श्री मोहन कुमार को नलकूप प्रमंडल बेतिया के अन्तर्गत पदचर के रिक्त पद पर अस्थायी रूप से वेतनमान 5200–20200 ग्रेड पे0 1800 रूपये तथा सरकार द्वारा समय–समय पर स्वीकृत अन्य भत्तों के साथ अनुकम्पा के आधार पर औपबधिक रूप से नियुक्त किया जाता है, जिसे बिना कारण बताये रद्द किया जा सकता है।

2. श्री मोहन कुमार पत्र प्रप्ति के 15 दिनों के अन्दर निश्चित रूप से अपने नव नियुक्त पद पर योगदान देंगे। योगदान के समय इन्हें किसी असैनिक शल्य चिकित्सक/जिला चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थता प्रमाण–पत्र, आय प्रमाण–पत्र, विवाह में तिलक दहेज का लेन–देन नहीं करना , न्यायालय में सजा प्राप्ति नहीं होने ,न्यायालय में फौजदारी मुकदमा लम्बित नहीं रहने तथा स्व0 जय श्री लाल साह के परिवार के आश्रित सदस्यों का भरण–पोषण करने संबंधी अद्यतन शपथ–पत्र आदि मूल कागजात कार्यपालक अभियन्ता, नलकूप प्रमंडल बेतिया के समक्ष प्रस्तुत करना होगा, जिसकी जाँच कार्यपालक अभियन्ता करेगे तथा इसे सही पाये जाने पर ही योगदान स्वीकृत किया जायेगा।

3. शैक्षणिक योग्यता प्रमाण–पत्र, मृत्यु प्रमाण–पत्र/जिला अनुकम्पा समिति द्वारा अनुशंसित पत्र का सत्यापन कार्यपालक अभियन्ता द्वारा कर ली जायेगी।

4. कार्मिक एवं प्रशसनिक सुधार विभाग का परिपत्र संख्या 13293, दिनांक 05.10.91 का कंडिका–1 (ख) के अनुसार मृत सरकारी सेवक की नियुक्ति स्वीकृति पद के विरूद्ध विधिवत की गई थी, का सत्यापन कार्यपालक अभियन्ता द्वारा कर ली जायेगी।

5. कार्मिक एवं प्रशसनिक सुधार विभाग का परिपत्र संख्या 13293, दिनांक 05.10.91 की कंडिका–7 के अनुसार नियुक्त किये जा रहे व्यक्ति के विरूद्ध यदि मृतक सरकारी सेवक के आश्रित परिवार के भरण–पोषण में किसी प्रकार की त्रुटि पाई जायेगी तो नियुक्ति पदाधिकारी द्वारा पृच्छा प्राप्त कर इनकी सेवा समाप्त कर दी जायेगी। इस संबंध में श्री मोहन कुमार को योगदान के समय वर्णित अनुदेश के अनुरूप एक घोषणा पत्र भी कार्यपालक अभियन्ता के समक्ष प्रस्तुत करना होगा, जिसे कार्यपालक अभियन्ता श्री मोहन कुमार की सेवा पुस्तिका में दर्ज कर सुरक्षित रखेगे।

6. गलत तथ्यों अथवा कागजातों के आधार पर नियुक्ति होने की सूचना अगर बाद में प्राप्त होती है तो किसी भी समय कारण पृछा नोटिस देते हुए उनकी सेवा समाप्त कर दी जायेगी।

7. तिलक दहेज नहीं लेने और न देने संबंधी एक घोषणा पत्र भी नियुक्ति किये जा रहे व्यक्ति कार्यपालक अभियन्ता के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।

8. यह नियुक्ति रोस्टर व्यवस्था के आरक्षित बिन्दु के विरूद्ध पड़ता है तो उसे अग्रणीत कर लिया जायेगा।

9. योगदान करने हेतु श्री मोहन कुमार को यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

10 वित विभाग के संकल्प संख्या 1964 दिनांक 31.08.05 में निहित अंशदायी पेंशन योजना संबंधी प्रावधान लागू होगें।

आदेश से,
एन0 पासवान, मुख्य अभियन्ता (उत्तर)।

8 फरवरी 2014

सं० स्था0-3, बी-विविध-8/13-120—सरकार के अवर सचिव, लघु सिंचाई विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक-1661 दिनांक 02.04.07 में निहित सरकार के आदेश के अनुपालन में स्व0 रामाकान्त तिवारी भूतपूर्व नलकूप चालक नलकूप प्रमंडल, बेतिया के आश्रित पुत्र श्री ओम प्रकाश तिवारी को नलकूप अंचल, दरभंगा के अन्तर्गत निम्न वर्गीय लिपिक के रिक्त पद पर अस्थायी रूप से वेतनमान 5200-20200 ग्रेड पे0 1900 रूपये तथा सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत अन्य भत्तों के साथ अनुकम्पा के आधार पर औपबधिक रूप से नियुक्त किया जाता है, जिसे बिना कारण बताये रद्द् किया जा सकता है।

2. श्री ओम प्रकाश तिवारी पत्र प्रप्ति के 15 दिनों के अन्दर निश्चित रूप से अपने नव नियुक्त पद पर योगदान देंगे। योगदान के समय इन्हें किसी असैनिक शल्य चिकित्सक/जिला चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थता प्रमाण-पत्र, आय प्रमाण-पत्र, विवाह में तिलक दहेज का लेन-देन नहीं करना , न्यायालय में सजा प्राप्ति नहीं होने, न्यायालय में फौजदारी मुकदमा लम्बित नहीं रहने तथा स्व0 रामाकान्त तिवारी के परिवार के आश्रित सदस्यों का भरण-पोषण करने संबंधी अद्यतन शपथ-पत्र आदि मूल कागजात अधीक्षण अभियन्ता, नलकूप अंचल, दरभंगा के समक्ष प्रस्तुत करना होगा, जिसकी जाँच अधीक्षण अभियन्ता करेगे तथा इसे सही पाये जाने पर ही योगदान स्वीकृत किया जायेगा।

3. शैक्षणिक योग्यता प्रमाण-पत्र, मृत्यु प्रमाण-पत्र/जिला अनुकम्पा समिति द्वारा अनुशंसित पत्र का सत्यापन अधीक्षण अभियन्ता द्वारा कर ली जायेगी।

4. कार्मिक एवं प्रशसनिक सुधार विभाग का परिपत्र संख्या 13293, दिनांक 05.10.91 का कंडिका-1 (ख) के अनुसार मृत सरकारी सेवक की नियुक्ति स्वीकृति पद के विरूद्ध विधिवत की गई थी, का सत्यापन अधीक्षण अभियन्ता द्वारा कर ली जायेगी।

5. कार्मिक एवं प्रशसनिक सुधार विभाग का परिपत्र संख्या 13293, दिनांक 05.10.91 की कंडिका-7 के अनुसार नियुक्त किये जा रहे व्यक्ति के विरूद्ध यदि मृतक सरकारी सेवक के आश्रित परिवार के भरण-पोषण में किसी प्रकार की त्रुटि पाई जायेगी तो नियुक्ति पदाधिकारी द्वारा पृच्छा प्राप्त कर इनकी सेवा समाप्त कर दी जायेगी। इस संबंध में श्री ओम प्रकाश तिवारी को योगदान के समय वर्णित अनुदेश के अनुरूप एक घोषणा पत्र भी अधीक्षण अभियन्ता के समक्ष प्रस्तुत करना होगा, जिसे अधीक्षण अभियन्ता श्री ओम प्रकाश तिवारी की सेवा पुस्तिका में दर्ज कर सुरक्षित रखेगे।

6. गलत तथ्यों अथवा कागजातों के आधार पर नियुक्ति होने की सूचना अगर बाद में प्राप्त होती है तो किसी भी समय कारण पृछा नोटिस देते हुए उनकी सेवा समाप्त कर दी जायेगी।

7. तिलक दहेज नहीं लेने और न देने संबंधी एक घोषणा पत्र भी नियुक्ति किये जा रहे व्यक्ति अधीक्षण अभियन्ता के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।

8. यह नियुक्ति रोस्टर व्यवस्था के आरक्षित बिन्दु के विरूद्ध पड़ता है तो उसे अग्रणीत कर लिया जायेगा।

9. इन्हे छः माह के अंदर कम्प्युटर टाईपिंग का ज्ञान आवश्यक हैं अन्यथा इपकी नियुक्ति समाप्ति हेतु कारवाई कीं जायेगी।

10. योगदान करने हेतु श्री ओम प्रकाश तिवारी को यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

11 वित विभाग के संकल्प संख्या 1964 दिनांक 31.08.05 में निहित अंशदायी पेंशन योजना संबंधी प्रावधान लागू होगें।

आदेश से,
एन0 पासवान, मुख्य अभियन्ता (उत्तर)।

---

24 फरवरी 2014

सं० स्था0-3, बी-07/13-151—सरकार के अवर सचिव, लघु सिंचाई विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक-1661 दिनांक 02.04.07 में निहित सरकार के आदेश के अनुपालन में स्व0 राम प्रसाद भूतपूर्व हेल्पर नलकूप प्रमण्डल समस्तीपुर के आश्रित पुत्र श्री रंजीत कुमार महतो को नलकूप प्रमंडल, मुजफ्फरपुर के अन्तर्गत निम्न वर्गीय लिपिक के रिक्त पद पर अस्थायी रूप से वेतनमान 5200-20200, ग्रे0 पे0 1900 रूपये तथा सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत अन्य भत्तों के साथ अनुकम्पा के आधार पर औपबधिक रूप से नियुक्त किया जाता है, जिसे बिना कारण बताये रद्द् किया जा सकता है।

2. श्री रंजीत कुमार महतो पत्र प्रप्ति के 15 दिनों के अन्दर निश्चित रूप से अपने नव नियुक्त पद पर योगदान देंगे। योगदान के समय इन्हें किसी असैनिक शल्य चिकित्सक/जिला चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थता प्रमाण-पत्र, आय प्रमाण-पत्र, विवाह में तिलक दहेज का लेन-देन नहीं करना, न्यायालय में सजा प्राप्ति नहीं होने ,न्यायालय में फौजदारी मुकदमा लम्बित नहीं रहने तथा स्व0 राम प्रसाद के परिवार के आश्रित सदस्यों का भरण-पोषण करने संबंधी अद्यतन शपथ-पत्र आदि मूल कागजात कार्यपालक अभियन्ता नलकूप प्रमंडल मुजफ्फरपुर के समक्ष प्रस्तुत करना होगा, जिसकी जाँच कार्यपालक अभियन्ता करेगे तथा इसे सही पाये जाने पर ही योगदान स्वीकृत किया जायेगा।

3. शैक्षणिक योग्यता प्रमाण-पत्र, मृत्यु प्रमाण-पत्र/जिला अनुकम्पा समिति द्वारा अनुशंसित पत्र का सत्यापन कार्यपालक अभियन्ता द्वारा कर ली जायेगी।

4. कार्मिक एवं प्रशसनिक सुधार विभाग का परिपत्र संख्या-13293 दिनांक 05.10.91 का कंडिका-1 (ख) के अनुसार मृत सरकारी सेवक की नियुक्ति स्वीकृति पद के विरूद्ध विधिवत की गई थी, का सत्यापन कार्यपालक अभियन्ता द्वारा कर ली जायेगी।

5. कार्मिक एवं प्रशसनिक सुधार विभाग का परिपत्र संख्या-13293 दिनांक 05.10.91 की कंडिका-7 के अनुसार नियुक्त किये जा रहे व्यक्ति के विरूद्ध यदि मृतक सरकारी सेवक के आश्रित परिवार के भरण-पोषण में किसी प्रकार की त्रुटि पाई जायेगी तो नियुक्ति पदाधिकारी द्वारा पृच्छा प्राप्त कर इनकी सेवा समाप्त कर दी जायेगी। इस संबंध में श्री रंजीत कुमार महतो को योगदान के समय वर्णित अनुदेश के अनुरूप एक घोषणा पत्र भी कार्यपालक अभियन्ता के समक्ष प्रस्तुत करना होगा, जिसे कार्यपालक अभियन्ता श्री रंजीत कुमार महतो की सेवा पुस्तिका में दर्ज कर सुरक्षित रखेगे।

6. गलत तथ्यों अथवा कागजातों के आधार पर नियुक्ति होने की सूचना अगर बाद में प्राप्त होती है तो किसी भी समय कारण पृछा नोटिस देते हुए उनकी सेवा समाप्त कर दी जायेगी।

7. तिलक दहेज नहीं लेने और न देने संबंधी एक घोषणा पत्र भी नियुक्ति किये जा रहे व्यक्ति कार्यपालक अभियन्ता के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।

8. यह नियुक्ति रोस्टर व्यवस्था के आरक्षित बिन्दु के विरूद्ध पड़ता है तो उसे अग्रणीत कर लिया जायेगा।

9. इन्हें छः माह के अन्दर कम्प्युटर टाईपिंग का ज्ञान आवश्यक है अन्यथा इनकी नियुक्ति समाप्ति हेतु कारवाई की जायेगी।

10 योगदान करने हेतु श्री रंजीत कुमार महतो को यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

11 वित विभाग के संकल्प संख्या 1964 दिनांक 31.08.05 में निहित अंशदायी पेंशन योजना संबंधी प्रावधान लागू होगें।

आदेश से,
एन0 पासवान, मुख्य अभियन्ता (उत्तर)।

---

24 फरवरी 2014

सं० स्था0-3, बी-विविध-05/13-163—सरकार के अवर सचिव, लघु सिंचाई विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक-1661 दिनांक 02.04.07 में निहित सरकार के आदेश के अनुपालन में स्व0 बच्च साह भूतपूर्व मेठ नलकूप प्रमण्डल, छपरा के आश्रित पुत्र श्री छठु साह को नलकूप प्रमंडल हाजीपुर के अन्तर्गत पदचर के रिक्त पद पर अस्थायी रूप से वेतनमान 5200-20200 ग्रेड पे0 1800 रूपये तथा सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत अन्य भत्तों के साथ अनुकम्पा के आधार पर औपबधिक रूप से नियुक्त किया जाता है, जिसे बिना कारण बताये रद्द् किया जा सकता है।

2. श्री छठु साह पत्र प्रप्ति के 15 दिनों के अन्दर निश्चित रूप से अपने नव नियुक्त पद पर योगदान देंगे। योगदान के समय इन्हें किसी असैनिक शल्य चिकित्सक/जिला चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थता प्रमाण-पत्र, आय प्रमाण-पत्र, विवाह में तिलक दहेज का लेन-देन नहीं करना , न्यायालय में सजा प्राप्ति नहीं होने ,न्यायालय में फौजदारी मुकदमा लम्बित नहीं रहने तथा स्व0 बच्चा साह के परिवार के आश्रित सदस्यों का भरण-पोषण करने संबंधी अद्यतन शपथ-पत्र आदि मूल कागजात कार्यपालक अभियन्ता नलकूप प्रमंडल हाजीपुर के समक्ष प्रस्तुत करना होगा, जिसकी जाँच कार्यपालक अभियन्ता करेगे तथा इसे सही पाये जाने पर ही योगदान स्वीकृत किया जायेगा।

3. शैक्षणिक योग्यता प्रमाण-पत्र, मृत्यु प्रमाण-पत्र/जिला अनुकम्पा समिति द्वारा अनुशंसित पत्र का सत्यापन कार्यपालक अभियन्ता द्वारा कर ली जायेगी।

4. कार्मिक एवं प्रशसनिक सुधार विभाग का परिपत्र संख्या-13293 दिनांक 05.10.91 का कंडिका-1 (ख) के अनुसार मृत सरकारी सेवक की नियुक्ति स्वीकृति पद के विरूद्ध विधिवत की गई थी, का सत्यापन कार्यपालक अभियन्ता द्वारा कर ली जायेगी।

5. कार्मिक एवं प्रशसनिक सुधार विभाग का परिपत्र संख्या-13293 दिनांक 05.10.91 की कंडिका-7 के अनुसार नियुक्त किये जा रहे व्यक्ति के विरूद्ध यदि मृतक सरकारी सेवक के आश्रित परिवार के भरण-पोषण में किसी प्रकार की त्रुटि पाई जायेगी तो नियुक्ति पदाधिकारी द्वारा पृच्छा प्राप्त कर इनकी सेवा समाप्त कर दी जायेगी। इस संबंध में श्री छठु साह को योगदान के समय वर्णित अनुदेश के अनुरूप एक घोषणा पत्र भी कार्यपालक अभियन्ता के समक्ष प्रस्तुत करना होगा, जिसे कार्यपालक अभियन्ता श्री छठु साह की सेवा पुस्तिका में दर्ज कर सुरक्षित रखेगे।

6. गलत तथ्यों अथवा कागजातों के आधार पर नियुक्ति होने की सूचना अगर बाद में प्राप्त होती है तो किसी भी समय कारण पृछा नोटिस देते हुए उनकी सेवा समाप्त कर दी जायेगी।

7. तिलक दहेज नहीं लेने और न देने संबंधी एक घोषणा पत्र भी नियुक्ति किये जा रहे व्यक्ति कार्यपालक अभियन्ता के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।

8. यह नियुक्ति रोस्टर व्यवस्था के आरक्षित बिन्दु के विरूद्ध पड़ता है तो उसे अग्रणीत कर लिया जायेगा।

9. योगदान करने हेतु श्री छठु साह को यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

10 वित विभाग के संकल्प संख्या 1964 दिनांक 31.08.05 में निहित अंशदायी पेंशन योजना संबंधी प्रावधान लागू होगें।

आदेश से,
एन0 पासवान, मुख्य अभियन्ता (उत्तर)।

मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, गया का कार्यालय

कार्यालय आदेश

25 जनवरी 2014

सं० 1/मु०अ०(अनुकम्पा)4–8/14–113—स्व० शैलेन्द्र शर्मा, पत्राचार लिपिक, जलपथ अंचल,घोषी के पुत्री सुश्री निशी कुमारी को अनुकम्पा के आधार पर जिला अनुकम्पा समिति, जहानाबाद के पत्रांक 35, दिनांक 13.01.14 के द्वारा किये गये अनुशंसा के आलोक में सुश्री निशी कुमारी को वेतनमान् 5200–20200+ग्रेड पे–1900 में तथा समय–समय पर सरकार द्वारा स्वीकृत भत्ते सहित कनीय लेखा लिपिक के पद पर नियुक्ति करते हुये कनीय लेखा लिपिक के रिक्त पद के विरूद्ध जलपथ प्रमण्डल, घोषी में पदस्थापित किया जाता है।

(2) इनकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है, तथा संवर्गीय वरीयता के लिये उसकी मान्यता नहीं दी जायेगी। अगर इसके पूर्व इस संवर्ग में नियुक्त कोई उम्मीदवार संबंधित पदाधिकारी के अधीन है तो इनकी वरीयता उसके बाद होगी।

(3) स्व० सरकारी पदाधिकारी/कर्मचारी के आश्रित परिवार के सदस्यों का भरण–पोषण का पूर्णतः उत्तरदायित्व उक्त परिवार के नियुक्त कर्मचारी पर होगी। उत्तरदायित्व का निर्वाह पूरी तत्परता के साथ नहीं करने पर गंभीर कदाचार माना जायेगा, जिसके लिये उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी। अगर नियुक्त व्यक्ति द्वारा मृतक के आश्रित परिवार के भरण–पोषण में किसी प्रकार की त्रुटि की जाती है, तो कारण पृच्छा प्राप्त कर उसकी सेवा समाप्त की जा सकेगी।

(4) अगर इन उम्मीदवार की नियुक्ति आरक्षित कोटि के रोस्टर बिन्दु पर हुई है तो उक्त आरक्षित कोटा के पद को अग्रणित कर दिया जायेगा।

(5) नियुक्त पद पर योगदान करते समय उन्हें शैक्षणिक योग्यता से संबंधित प्रमाण–पत्र, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, टंकण/कम्प्यूटर टंकण योग्यता प्रमाण–पत्र, वास्तविक जन्म–तिथि प्रमाण–पत्र, अनियोजन प्रमाण–पत्र, मृतक सरकारी सेवक के आश्रित परिवार में कोई भी सदस्य सरकारी या गैर–सरकारी सेवा में नियोजित नहीं है का प्रमाण–पत्र, आश्रित प्रमाण–पत्र, विवाह की स्थिति में दहेज नहीं लेने देने के सम्बन्ध में शपथ–पत्र मूल रूप से संबंधित पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा जिसकी जाँच एवं समीक्षा संबंधित पदाधिकारी द्वारा कर लेने के पश्चात् ही योगदान स्वीकार किया जायेगा।

(6) योगदान करते समय असैनिक शल्क चिकित्सक का स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र हर हाल में प्रस्तुत करना होगा।

(7) योगदान करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा–भत्ता किसी भी स्थिति में देय नहीं होगा।

(8) किसी भी तरह की गलत सूचना, गलत तथ्यों अथवा गलत प्रमाण–पत्र, गलत कागजातों तथा धोखाघड़ी के आधार पर प्राप्त की गई नियुक्ति/नौकरी को किसी भी समय एक कारण पृच्छा नोटिस देते हुये बर्खास्त किया जा सकेगा तथा अन्य समुचित कार्रवाई नियमानुसार की जायेगी।

(9) कम्प्यूटर टंकण ज्ञान परीक्षा उत्तीर्ण के बाद ही वेतन वृद्धि देय होगा।

आदेश से,
(ह०)–अस्पष्ट, मुख्य अभियंता।

---

25 जनवरी 2014

सं० 1/मु०अ०(अनुकम्पा)4–3/11–115—स्व० हातिम, कुशल मजदूर, जलपथ प्रमण्डल, जहानाबाद की पुत्री सुश्री रूखसाना प्रवीण को अनुकम्पा के आधार पर जिला अनुकम्पा समिति, जहानाबाद के पत्रांक 35, दिनांक 13.01.14 के द्वारा किये गये अनुशंसा के आलोक में जिला पदाधिकारी द्वारा सामान्य प्रषासन विभाग के पत्रांक–95553 द्वारा प्राप्त निर्देश के आलोक में सुश्री रूखसाना प्रवीण को नन्–मैट्रिक वेतनमान् 4440–7440+ग्रेड पे– 1650 में तथा समय–समय पर सरकार द्वारा स्वीकृत भत्ते सहित समूह 'घ' कार्यालय परिचारी अनुसेविका के पद पर नियुक्ति करते हुये कार्यालय परिचारी (अनुसेवक) के रिक्त पद के विरूद्ध जलपथ प्रमण्डल, जहानाबाद में पदस्थापित किया जाता है जो वित्त विभाग के संकल्प सं० वि(27)पें०से० 53/2469, दिनांक 16.11.2005 के अन्तर्गत होंगे।

(2) इनकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है, तथा संवर्गीय वरीयता के लिये उसकी मान्यता नहीं दी जायेगी। अगर इसके पूर्व इस संवर्ग में नियुक्त कोई उम्मीदवार संबंधित पदाधिकारी के अधीन है तो इनकी वरीयता उसके बाद होगी।

(3) स्व० सरकारी पदाधिकारी/कर्मचारी के आश्रित परिवार के सदस्यों का भरण–पोषण का पूर्णतः उत्तरदायित्व उक्त परिवार के नियुक्त कर्मचारी पर होगी। उत्तरदायित्व का निर्वाह पूरी तत्परता के साथ

नहीं करने पर गंभीर कदाचार माना जायेगा, जिसके लिये उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी। अगर नियुक्त व्यक्ति द्वारा मृतक के आश्रित परिवार के भरण–पोषण में किसी प्रकार की त्रुटि की जाती है, तो कारण पृच्छा प्राप्त कर उसकी सेवा समाप्त की जा सकेगी।

(4) अगर इन उम्मीदवार की नियुक्ति आरक्षित कोटि के रोस्टर बिन्दु पर हुई है तो उक्त आरक्षित कोटा के पद को अग्रणित कर दिया जायेगा।

(5) नियुक्त पद पर योगदान करते समय उन्हें शैक्षणिक योग्यता से संबंधित प्रमाण–पत्र, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, जन्म–तिथि एवं आश्रित प्रमाण–पत्र मूल रूप से संबंधित पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा, जिसकी जाँच एवं समीक्षा संबंधित पदाधिकारी द्वारा कर लेने के पश्चात ही योगदान स्वीकार किया जायेगा।

(6) मृतक सरकारी सेवक के आश्रित परिवार में कोई भी सदस्य सरकारी या गैर–सरकारी सेवा में नियोजित नहीं हैं, का प्रमाण–पत्र एवं विवाह की स्थिति में दहेज नहीं लेने–देने के सम्बन्ध में शपथ–पत्र मूल रूप से संबंधित पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा, जिसकी जाँच एवं समीक्षा संबंधित पदाधिकारी द्वारा कर लेने के पश्चात् ही योगदान स्वीकार किया जायेगा।

(7) योगदान करते समय असैनिक शल्य चिकित्सक का स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र हर हाल में प्रस्तुत करना होगा।

(8) योगदान करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा–भत्ता किसी भी स्थिति में देय नहीं होगा।

(9) किसी भी तरह की गलत सूचना गलत तथ्यों अथवा गलत प्रमाण–पत्र, गलत कागजातों तथा धोखाघड़ी के आधार पर प्राप्त की गई नियुक्ति/नौकरी को किसी भी समय एक कारण पृच्छा नोटिस देते हुये बर्खास्त किया जा सकेगा तथा अन्य समुचित कार्रवाई नियमानुसार की जायेगी।

आदेश से,
(ह०)–अस्पष्ट, मुख्य अभियंता।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 10—571+100-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in

बिहार गजट

का

पूरक(अ0)

प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित

ग्रामीण कार्य विभाग

अधिसूचनाएं

10 मार्च 2014

सं0 3 अ0प्र0–1–32/2014–853—श्री प्रमोद कुमार सिन्हा, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, सुपौल सम्प्रति कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, महुआ के द्वारा पथ निर्माण विभाग के पथ प्रमंडल, सुपौल अन्तर्गत परसरमा–चिकनी पथ के 8 वें कि0मी0 कार्य में पायी गयी त्रुटियों के आरोप में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील)(संशोधन) नियमावली 2007 के नियम 14(v) के तहत निम्नांकित दंड संसूचित किया जाता है :–

(i) असंचयात्मक रूप से एक वेतन वृद्धि पर रोक।

प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
आर0 लक्ष्मणन, अपर सचिव।

---

1 अप्रील 2014

सं० 3/अ0प्र0–1–261/09– 1075—श्री नन्द किशोर प्रसाद, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल–2, पटना सम्प्रति कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, विक्रमगंज (रोहतास) के द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत खजूरी से पनहारा पथ एवं अन्य पथों में कराये गये कार्य में अनियमितता बरतने के आरोप में विभागीय अधिसूचना सं0 718 सह पठित ज्ञापांक 719 दिनांक 25.01.2011 के द्वारा तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया।

2. विभागीय संकल्प सं0 2561 दिनांक 01.03.2011 द्वारा श्री नन्द किशोर प्रसाद, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल–2, पटना सम्प्रति कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, विक्रमगंज (रोहतास) के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 17 के अधीन विभागीय जाँच आयुक्त, बिहार, पटना को विभागीय कार्यवाही संचालित करने हेतु संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

3. संचालित विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी के पत्रांक 278 सी0डी0ई0 दिनांक 03.04.2013 द्वारा विभागीय कार्यवाही संख्या 19/11 में समर्पित जाँच प्रतिवेदन की विभाग द्वारा समीक्षा की गयी।

4. जॉच प्रतिवेदन के आधार पर श्री प्रसाद से विभागीय पत्रांक 1374 दिनांक 10.04.2013 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा की मांग की गयी। श्री प्रसाद से द्वितीय कारण पृच्छा विभाग को उनके पत्रांक 196 दिनांक 06.05.2013 द्वारा प्राप्त हुआ। द्वितीय कारण पृच्छा की समीक्षा किये जाने के उपरांत यह पाया गया कि आरोपों के विरूद्ध श्री प्रसाद के द्वारा कोई नया तथ्य नहीं प्रस्तुत किया गया जो उन्हें निर्दोष साबित करता हो। इसके अतिरिक्त इस मामले में यह भी पाया गया कि सरकारी राशि की बड़े पैमाने पर क्षति हुई है, जिसका आकलन कर उसकी वसूली श्री प्रसाद से की जानी है।

5. अतः संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन की समीक्षा तकनीकी रूप से कराये जाने के उपरांत यह पाया गया कि उक्त आरोपों के लिए श्री नंद किशोर प्रसाद पूर्णतः दोषी है।

6. अतः बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 की कंडिका–14 (IX) के तहत बृहत् दंड (सेवाच्युति) {Removal from Service} की शास्ति अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया।

7. चूँकि ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या 1002 दिनांक 22.02.08 में किये गये प्रावधान के अनुसार बृहत दंड देने की शक्ति पैतृक विभाग को प्रदत्त है, अतएव श्री प्रसाद से संबंधित संचिका के पत्राचार/टिप्पण भाग की छाया प्रति विभागीय पत्रांक 2729 अनु0 दिनांक 23.07.2013 द्वारा जल संसाधन विभाग को अग्रेतर कार्रवाई करने हेतु भेजा गया।

8. जल संसाधन विभाग के पत्रांक 171 दिनांक 03.02.2014 द्वारा उक्तदंड के प्रस्ताव पर सहमति प्रदान करने का अनुरोध बिहार लोक सेवा आयोग से किया गया। बिहार लोक सेवा आयोग के पत्रांक 2523 लो0से0आ0 दिनांक 14.02.2014 द्वारा दंड के प्रस्ताव पर सहमति दी गयी, परंतु वितीय क्षति का आकलन विभागीय स्तर पर ही करने का मंतव्य दिया गया, क्योकि यह विभाग का आंतरिक मामला है एवं इसमें आयोग के परामर्श की आवश्यकता नहीं होती है।

9. जल संसाधन विभाग के पत्रांक 311 अनु0 दिनांक 12.03.2014 द्वारा विभाग को यह सूचित किया गया कि जल संसाधन विभाग के संकल्प ज्ञाप सं0 160 दिनांक 23.01.2014 द्वारा जल संसाधन विभाग संवर्ग के अभियंताओ को उनके वर्तमान कार्यरत विभाग के आधार पर उसी विभाग में आवंटित कर दिया गया है, जिसमें वे कार्यरत है।इसी आधार पर श्री प्रसाद के विरूद्व कार्रवाई करने हेतु प्रस्ताव विभाग को लौटा दिया गया है।

10. श्री प्रसाद की जन्मतिथि 16.06.1954 एवं सेवानिवृति की तिथि 30.06.2014 है।

11. श्री नन्द किशोर प्रसाद, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल– 2, पटना सम्प्रति कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, विक्रमगंज (रोहतास), अग्रिम योजना प्रमंडल–1, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना में प्रतिनियुक्त को प्रमाणित गंभीर आरोपों के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 की कंडिका–14 (IX) के तहत बृहत् दंड (सेवाच्युति) {Removal from Service} की शास्ति अधिरोपित करने के प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति प्राप्त है।

12. अतः उक्त आलोक में श्री नन्द किशोर प्रसाद, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल–2, पटना सम्प्रति कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, विक्रमगंज (रोहतास), अग्रिम योजना प्रमंडल–1, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना में प्रतिनियुक्त को प्रमाणित गंभीर आरोपों के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 की कंडिका–14 (IX) के तहत बृहत् दंड (सेवाच्युति) {Removal from Service} की शास्ति अधिरोपित की जाती है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
काशी नाथ सिंह, विशेष सचिव।

---

1 अप्रील 2014

सं० 3/अ0प्र0–1–05/10– 1076—श्री सत्य नारायण सिंह, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल–2, गोपालगंज सम्प्रति निलंबित अभियंता प्रमुख का कार्यालय, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के विरूद्व जिला पदाधिकारी, गोपालगंज को रिश्वत देने के आरोप में विभागीय अधिसूचना सं0 133 सह पठित ज्ञापांक 6023 दिनांक 19.05.2010 द्वारा गिरफ्तारी एवं हिरासत में लिये जाने की तिथि से अगले आदेश तक के लिए निलंबित किया गया। दिनांक 27.05.2010 को जमानत मिलने पर एवं कारा से रिहा होने के उपरांत उनके द्वारा विभाग में योगदान कर लिये जाने के बाद संगत नियम के अनुरूप विभागीय अधिसूचना संख्या 10791 सह–पठित ज्ञापांक 10792 दिनांक 23.09.2010 द्वारा उन्हें निलंबन से मुक्त कर दिया गया, किन्तु बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 की कंडिका 9 (1) (क) एवं (ग) तथा कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार के पत्रांक 773 दिनांक 27.03.2006 की कंडिका 03 में अन्त र्निहित प्रावधानानुसार पुनः विभागीय अधिसूचना संख्या 10793 दिनांक 23.09.2013 द्वारा दिनांक 28.05.2010 के प्रभाव से श्री सिंह को निलंबित किया गया।

2. विभागीय संकल्प सं0 7939 दिनांक 15.06.2011 द्वारा श्री सत्यनारायण सिंह, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल–2, गोपालगंज सम्प्रति निलंबित अभियंता प्रमुख का कार्यालय, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 17 के अधीन विभागीय जाँच आयुक्त, बिहार, पटना को विभागीय कार्यवाही संचालित करने हेतु संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

3. संचालन पदाधिकारी के पत्रांक 726/सी0डी0ई0 दिनांक 31.08.2012 द्वारा विभागीय कार्यवाही संख्या 28/11 में जाँच प्रतिवेदन विभाग को प्राप्त हुआ।

4. जॉच प्रतिवेदन के आधार पर श्री सिंह से विभागीय पत्रांक 188 अनु0 दिनांक 21.01.2013 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा की मांग की गयी, जिसके आलोक में श्री सिंह से द्वितीय कारण पृच्छा विभाग को उनके पत्रांक 01 दिनांक 14.02.2013 द्वारा प्राप्त हुआ।

5. संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन एवं श्री सिंह से प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा की समीक्षा विभागीय स्तर पर कराये जाने के उपरांत यह पाया गया कि उक्त आरोपों के लिए श्री सत्य नारायण सिंह पूर्णतः दोषी है।

6. अतः बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 की कंडिका–14 (VII) एवं बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) (संशोधन) नियमावली 2007 के कंडिका 14 (VIII) के अन्तर्गत श्री सत्यनारायण सिंह (निलंबित कार्यपालक अभियंता) को वृहत् दंड के रूप में निम्न शास्ति अधिरोपित करने का निर्णय लिया गयाः–

(क) सहायक अभियंता के पद पर अवनति।
(ख) निलंबन अवधि में मात्र जीवन निर्वाह भत्ता का भुगतान।
(ग) निलंबन अवधि का विनियमन गोपालगंज थाना कांड सं0– 02/2010 दिनांक 04.01.10 धारा 353/भा0द0वि0 एवं 10/12/13 (1–डी0) सहपठित 13(2/15) पी0सी0 एक्ट 1988 के फलाफल से प्रभावित होगा।

7. चूँकि श्री सिंह का पैतृक विभाग पथ निर्माण विभाग है, अतएव वृहत दंड देने हेतु श्री सिंह से संबंधित संचिका के पत्राचार/टिप्पण भाग की छायाप्रति विभागीय पत्रांक 2496 अनु0 दिनांक 03.07.2013 द्वारा पथ निर्माण विभाग को भेजा गया।

8 पथ निर्माण विभाग के पत्रांक 7946 (एस) दिनांक 04.10.2013 द्वारा विभाग को यह सूचित किया गया कि अभियंताओ के कैडर विभाजन के फलस्वरूप ग्रामीण कार्य विभाग के संवर्ग के अभियंताओं के विरूद्व आरोप से संबंधित कार्रवाई इस विभाग द्वारा नहीं चलाई जा सकती है। इसलिए श्री सिंह (निंलबित) से संबधित कागजात मूल रूप से अग्रेतर कार्रवाई हेतु ग्रामीण कार्य विभाग को वापस कर दिया गया।

9. ग्रामीण कार्य विभाग के पत्रांक 4422 अनु0 दिनांक 13.12.2013 द्वारा उक्त दंड के प्रस्ताव पर सहमति प्रदान करने हेतु पत्र बिहार लोक सेवा आयोग को भेजा गया। बिहार लोक सेवा आयोग के पत्रांक 2756 लो0से0आ0 दिनांक 12.03. 2014 द्वारा दंड के प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की गयी, परंतु निलंबन अवधि में मात्र जीवन निर्वाह भत्ता का भुगतान एवं निलंबन अवधि का विनियमन गोपालगंज थाना कांड सं0– 02/2010 दिनांक 04.01.10 धारा 353/भा0द0वि0 एवं 10/12/13 (1–डी0) सहपठित 13 (2/15) पी0सी0 एक्ट 1988 के फलाफल से प्रभावित होगा के बिन्दूपर विभाग द्वारा कार्रवाई करने की सलाह दी गई, क्योकि यह वृहतदंड की श्रेणी में नहीं आता है।

10. श्री सिंह की जन्म तिथि 01.01.1957 एवं सेवानिवृति की तिथि 31.12.2016 है।

11. श्री सत्यनारायण सिंह, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल–2, गोपालगंज सम्प्रति निलंबित, (मुख्यालय) अभियंता प्रमुख का कार्यालय, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना का कार्यालय को प्रमाणित गंभीर आरोपों के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 की कंडिका–14 (VII) एवं बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) (संशोधन) नियमावली 2007 के कंडिका 14 (VIII) के तहत सहायक अभियंता के पद पर अवनतिकरने की शास्ति अधिरोपित करने के प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति प्राप्त है।

12. अतएव श्री सत्यनारायण सिंह, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल–2, गोपालगंज सम्प्रति निलंबित, (मुख्यालय) अभियंता प्रमुख का कार्यालय, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना का कार्यालय को निलंबन से मुक्त करते हुए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 की कंडिका–14 (VII) एवं बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) (संशोधन)नियमावली 2007 के कंडिका 14 (VIII) के तहत सहायक अभियंता के पद पर अवनत करने की शस्ति अधिरोपित करने के साथ–साथ निलंबन अवधि में मात्र जीवन निर्वाह भत्ता का भुगतान करने की स्वीकृति दी जाती है। निलंबन की अवधि की गणना पेंशन प्रयोजनार्थ की जायेगी।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
काशी नाथ सिंह, विशेष सचिव।

कारा एवं सुधार सेवाएं निरीक्षणालय
गृह विभाग

अधिसूचना
14 मार्च 2014

सं० कारा/प्रो0(स्था0)–10–10/14–99—श्री मृत्युंजय कुमार, प्रधान प्रोबेशन पदाधिकारी, बेगुसराय, कंकड़बाग थाना, कांड संख्या–489/13 में आदर्श केन्द्रीय कारा, बेऊर, पटना में दिनांक 13.02.14 से विचाराधीन बंदी के रूप में

संसीमित हैं। बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 9 (2) के आलोक में 48 घंटे से अधिक अवधि के लिए अभिरक्षा में निरूद्ध रहने के कारण कारा निरूद्ध की तिथि (13.02.14) से निलंबित किया जाता है।

2. श्री कुमार को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 (यथा संशोधित) के अनुसार नियमानुसार निलंबनास्था में जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
(ह0)–अस्पष्ट,
अपर सचिव–सह–निदेशक (प्र0)।

———

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 10—571+100-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in